



कर्मोंक/शाखा-1/स्था./न.नि./PEB/2017/23265

भोपाल, दिनांक 30/10/2017

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम-भोपाल,
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल से प्रावीण्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची से सीधी भर्ती के सहायक अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पद का आवंटन।

संदर्भ :- नगर पालिक निगम-भोपाल, का पत्र कर्मोंक 472 दिनांक 26/09/2016,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके अनुक्रम में नगर पालिक निगम द्वारा सहायक अग्निशमन अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मांग पत्र संचालनालय को प्रेषित कर रिक्त पदों की पूर्ति करने का अनुरोध किया गया था, जिसके अनुक्रम में संचालनालय द्वारा प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। बोर्ड द्वारा दिनांक 07 से 12 जनवरी 2017 को परीक्षा आयोजित कर दिनांक 06.04.2017 को परिणाम घोषित किया गया। प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रावीण्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का संचालनालय स्तर पर परीक्षण किया गया। नगर पालिक निगम-भोपाल, को उनकी 8 (आठ) पदों की मांग के विरुद्ध 01 (एक) पद का आवंटन किया गया है। शेष 07 (सात) पद का आवंटन प्रतीक्षा सूची से किया जायेगा।

सीधी भर्ती के सहायक अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों के आवंटित पदों की जनकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	निगम का नाम	निगम की मांग अनुसार रिक्त पदों की संख्या	निगम को आवंटित पदों की संख्या	निगम को आवंटन हेतु शेष रहे पदों की संख्या (3-4-5)
1	3	3	4	5
1	न.पा.नि.- भोपाल	8	1	7

अभिलेखों के परीक्षण के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त अभिलेख(फोल्डर) तत्काल संचालनालय से प्राप्त करने के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को अधिकृत कर प्राप्त करना सुनिश्चित करायें।


अतः उपरोक्त अभिलेखों का परीक्षण कर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2000 के प्रावधान अनुसार सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश नियमानुसार अपने स्तर से जारी करें। उक्त प्रक्रिया 15 दिवस की समयावधि में पूर्ण की जाकर इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को देते हुए एक प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

/2/

LQm

उपरोक्त नियुक्ति प्रक्रिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पत्र क्रमंक/पीईबी/विधि/4432/2017 दिनांक 09 जून 2017 जिसके अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित समूह-2 उप समूह -4 के अंतर्गत श्रम निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक प्रबंधक, सहायक संपरीक्षक, ग्रन्थपाल, सहायक ग्रन्थपाल एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमंक 7780/2017-कृष्ण कन्हैया गुप्ता वि०म०प्र० शासन व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.05.2017 के अनुसार नियुक्ति संबंधी कार्यवाही याचिका के अन्तिम निराकरण के अधीन होगी। आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। याचिका में बोर्ड द्वारा प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

(शासन द्वारा अनुमोदित)
संलग्न :-उपरोक्तानुसार।



(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश 3

पृ.क./शाखा-1/स्था./न.नि./PEB/2017/23266

भोपाल, दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के हेतु :-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, म.प्र. भोपाल।
- 2 निज सचिव, आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.।
- 3 महापौर, नगर पालिक निगम-भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 4 संबंधित अभ्यर्थी श्री धीरज अहिर पिता श्री गोविन्द अहिर निवासी:-40, कृष्णापुरा, धार नाका, महु, मध्यप्रदेश. पिनकोड-453441, ई-मेल आई.डी. AHIRDHEERAJ1993@gmail.com की ओर सूचनार्थ।



अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश 3



/3/

- (1) नगर पालिक निगम-भोपाल में सहायक अग्निशमन अधिकारी के पात्र अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है :-

क	फो. क.	अभ्यर्थी का नाम/पता	संवर्ग	गृह जिला	आवंटित नगर पालिक निगम का नाम
1	2	3	4	5	6
1	02	श्री धीरज अहिर पिता श्री गोविन्द अहिर, निवासी:-40, कृष्णापुरा, धार नाका, महु, मध्यप्रदेश.पिनकोड-453441, ई-मेलआई.डी. AHIRDHEERAJ1993@gmail.com	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष	इन्दौर	भोपाल


संयुक्त सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल 3



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

Professional Examination Board

"Chayan Bhawan", Main Road No. 1, Chinar Park (East), Bhopal-462011
Phone: +91-769-2550203/04, Fax: +91-769-2550498 E-mail: vy6pana@mp.nic.in Website: www.vy6pana.org

क्रमांक पीईबी/विधि/4432/2017
प्रति

भोपाल, दिनांक 09 जून, 2017

आशुबन्त,
जनशाय प्रशासन, ग्रामीण विकास,
पालिका भवन,
शिवाजी नगर, भोपाल

विषय : याचिका क्रमांक 7780/2017 में मा0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश से अवगत कराने बाबत ।

संदर्भ : पीईबी द्वारा आयोजित समूह-2 उप समूह-4 के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक प्रबंधक, सहायक संपरीक्षक, ग्रन्थपाल, सहायक ग्रन्थपाल एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2017

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित संदर्भित परीक्षा के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक 7780/2017 - कृष्ण कन्हैया गुप्ता वि0 म0प्र0 शासन व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.05.2017 के अनुसार नियुक्ति संबंधी कार्यवाही याचिका के अन्तिम निराकरण के अधीन होगी। आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है । याचिका में बोर्ड द्वारा प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

JD(M.V)
JD-11/164
14/6/17

173 JUN 2017

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

भोपाल, दिनांक जून, 2017

पू0 क्रमांक पीईबी/विधि/4433/2017
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित (मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की छायाप्रति संलग्न)।
2. संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

AD(P)/es

14/6/17

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

159

WP-7780-2017

(KRISHNA KANHAIYA GUPTA Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH)

25-05-2017

Shri Shakti Prakash Pandey, learned counsel for the petitioners.

Shri B.D. Singh, learned Govt. Advocate for the respondents/State.

I.A. Nos.6867/2017 & 6868/2017 are taken up.

In the facts and circumstances of the case, the aforesaid interlocutory applications are allowed.

Heard.

Issue notice to the respondents on payment of process fee within seven days, failing which this petition shall stand dismissed without further reference to the Court.

He is also heard on interim relief.

As an interim measure, it is directed that any appointment made hereinafter on the post in question shall be subject to the final outcome of the writ petition.

C.C. as per rules.

(SUJOY PAUL.)
JUDGE

Biswal